

राजस्थान कर बोर्ड, अजमेर।

निगरानी संख्या 1918/2013.....जिला.....सिरोही.....

श्री योगेश पुत्र रामस्वरूप त्रिगुणायत, खानपुर जिला झालावाड बनाम् राज. सरकार जरिये उप
सिरोही व अन्य।

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनीशियल जज	नम्बर व अहकाम हुक्म की में जा
08.01.2015	<p style="text-align: center;">एकलपीठ श्रीमती आशा कुमारी, सदस्य</p> <p>प्रार्थी की ओर से अभिभाषक श्री रघुनाथ सिंह व अप्रार्थी विभाग की ओर से श्री डी. पी. औझा, उपराजकीय अभिभाषक उपस्थित। प्रार्थी अभिभाषक द्वारा हस्ताक्षरित प्रार्थना-पत्र प्रस्तुत किया गया, जिसमे राज्य सरकार द्वारा जारी अधिसूचना क्र. प.2(6)वित्त/कर/2014 -143 दिनांक 16.12.2014 का लाभ लेने हेतु प्रस्तुत निगरानी को विद्झा करने हेतु निवेदन किया गया। विद्धान उप राजकीय अभिभाषक श्री डी पी औझा ने इस संबंध में प्रस्तुत निगरानी को विद्झा करने के संबंध में किसी प्रकार की आपत्ति प्रकट नहीं की गयी।</p> <p>फलस्वरूप प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत निगरानी विद्झा करने की अनुमति दी जाती है। अतः प्रस्तुत निगरानी संख्या 1918/2013 "सारहीन" हो जाने के कारण खारीज की जाती है।</p> <p style="text-align: center;">आदेश सुनाया गया।</p> <div style="text-align: right;"> <p><i>आशा कुमारी</i> 08-1-15 (आशा कुमारी) सदस्य</p> </div>	